



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166070-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 19356/2026

प्रवीण कुरेशी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता	: सैय्यद सफदर अली काज़मी, शादाब अली
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त

यह रिट याचिका श्री सफदर अली काज़मी, याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किए जाने पर क्रम से बाहर लेकर सुनवाई हेतु प्रस्तुत की जा रही है। आदेश स्वयं इस बात को स्पष्ट करेगा कि मामले में इतनी शीघ्रता क्यों है और न्यायालय इस प्रकरण की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई क्यों कर रहा है।

यह रिट याचिका श्रीमती परवीन कुरैशी, पत्नी श्री सादिक अली कुरैशी, निवासी 211ए/10के/786, कसारी मसारी, जी.टी.बी. नगर, थाना-करेली, जनपद-इलाहाबाद/प्रयागराज द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें यह कथन किया गया है कि वह स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्र मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की वास्तविक पितृ पक्ष की बुआ हैं। मोहम्मद उमर एवं अली अहमद वर्तमान में क्रमशः जिला कारागार, लखनऊ एवं जिला कारागार, झांसी में निरुद्ध हैं।

याची ने कथन किया है कि स्वर्गीय अतीक अहमद के एक अन्य पुत्र अबान अहमद की दिनांक 06.08.2026 को लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अबान अहमद की मृत्यु से संबंधित प्रविष्टियां पुलिस स्टेशन-पुंच, जनपद-झांसी में दिनांक 06.08.2026 को 14:11 बजे सामान्य डायरी प्रविष्टि संख्या 31 में की गई हैं।

रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"ए)- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि मोहम्मद उमर को जिला कारागार, लखनऊ से पुलिस अभिरक्षा एवं अनुरक्षण के साथ अस्थायी अभिरक्षा पैरोल पर सीमित उद्देश्य से लाया जाए, ताकि वह अपने मृतक भाई अबान अहमद के दफन में सम्मिलित हो सके तथा धार्मिक संस्कार संपन्न कर सके;

बी)- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि अली अहमद को जिला कारागार, झांसी से पुलिस अभिरक्षा एवं अनुरक्षण के साथ अस्थायी अभिरक्षा पैरोल पर सीमित उद्देश्य से लाया जाए, ताकि वह अपने मृतक भाई अबान अहमद के दफन में सम्मिलित हो सके तथा धार्मिक संस्कार संपन्न कर सके।"

एहजाम अहमद एवं अबान अहमद (स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्रों) की जिम्मेदारी एवं अभिरक्षा सी.डब्ल्यू.सी., प्रयागराज द्वारा परवीन कुरैशी/याची को सौंप दी गई थी। परवीन कुरैशी/याची ने सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष दोनों नाबालिग बालकों की सुरक्षा एवं शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए एक शपथपत्र दाखिल किया था। उक्त शपथपत्र का उल्लेख उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 10279 सन् 2023, शाहीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.10.2023 के आदेश द्वारा किया गया था।

इस रिट याचिका में प्रार्थनाएं स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्र मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की ओर से की गई हैं, जो वर्तमान में विभिन्न प्रकरणों में विचारण का सामना कर रहे हैं तथा क्रमशः जिला कारागार, लखनऊ एवं जिला कारागार, झांसी में निरुद्ध हैं। तदनुसार, इस न्यायालय ने मोहम्मद उमर एवं अली अहमद, स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्रों, दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि उनके मृतक भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के संबंध में उनकी इच्छा का पता लगाया जा सके।

स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्र मोहम्मद उमर जिला कारागार, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कथन किया कि याची परवीन कुरैशी उनकी बुआ हैं। इसके अतिरिक्त, मोहम्मद उमर ने कहा कि वह इस न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन अपने भाई अबान अहमद (मृतक) के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसी प्रकार, स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद, जो विभिन्न प्रकरणों में विचारण का सामना कर रहे हैं तथा वर्तमान में जिला कारागार, झांसी में निरुद्ध हैं, भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अली अहमद ने भी पुष्टि की कि याची परवीन कुरैशी उनकी बुआ हैं। अली अहमद ने भी इस न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन अपने भाई अबान अहमद (मृतक) के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की है।

प्राप्त निर्देशों के आधार पर याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सफदर अली काज़मी ने प्रस्तुत किया है कि अबान अहमद का अंतिम संस्कार दिनांक 08.08.2026 को लगभग 08:00 बजे रात्रि में कसारी मसारी कब्रिस्तान, प्रयागराज में किया जाएगा।

रिट याचिका में मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की ओर से निम्नलिखित वचनबद्धता दी गई है:-

"(i)- याची वचन देता है कि मोहम्मद उमर एवं अली अहमद अभिरक्षा पैरोल की संपूर्ण अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे तथा पुलिस प्राधिकारी की निरंतर निगरानी एवं अनुरक्षण में रहेंगे और संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कड़ाई से आवश्यक संचार के अतिरिक्त कोई अनावश्यक संचार नहीं करेंगे।

(ii)- याची यह सुनिश्चित करेगा कि मोहम्मद उमर एवं अली अहमद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी जुलूस में सम्मिलित नहीं होंगे, दफन एवं उससे संबंधित धार्मिक संस्कारों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे।

(iii)- याची वचन देता है कि दफन एवं संबंधित धार्मिक समारोह पूर्ण होते ही मोहम्मद उमर एवं अली अहमद पुलिस अनुरक्षण में संबंधित जिला कारागार में वापस लौट जाएंगे।"

मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को रिट याचिका में उनकी ओर से दी गई उपर्युक्त वचनबद्धता से अवगत कराया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, मोहम्मद उमर एवं अली अहमद ने इस न्यायालय के समक्ष वचन दिया कि वे रिट याचिका में किए गए उपर्युक्त कथनों का पालन करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, मोहम्मद उमर एवं अली अहमद दोनों की ओर से अपने सहोदर एहजाम अहमद, स्वर्गीय अतीक अहमद के पुत्र तथा अपनी बुआ/याची परवीन कुरैशी से मिलने का अनुरोध किया गया।

राज्य की ओर से श्री पतंजलि मिश्रा, विद्वान शासकीय अधिवक्ता तथा श्री पंकज सक्सेना, विद्वान ए.जी.ए.-I उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि याची द्वारा की गई प्रार्थनाओं पर राज्य को सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि मोहम्मद उमर एवं अली अहमद दोनों पैरोल की शर्तों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन न करें। राज्य की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि मोहम्मद उमर एवं अली अहमद राज्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें तथा पैरोल के दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करें। उक्त निर्देश उनकी स्वयं की सुरक्षा के हित में होंगे।

समयाभाव के कारण राज्य सरकार शपथपत्र दाखिल करने में असमर्थ है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि मोहम्मद उमर एवं अली अहमद अपने मृतक भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं। मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को अपने मृतक भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जब किसी राष्ट्र के नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है, तो राष्ट्र के तंतु सुदृढ़ होते हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित निर्देश जारी करने से न्याय के हित की पूर्ति होगी:-

(i)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को कसारी मसारी कब्रिस्तान, प्रयागराज में अपने मृतक भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। अबान अहमद (मृतक) के अंतिम संस्कार के लिए प्रस्तावित दिनांक एवं समय 08.08.2026 को लगभग 08:00 बजे रात्रि है।

(ii)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को पुलिस अभिरक्षा एवं सुरक्षा में अंतिम संस्कार स्थल पर लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिरक्षा पैरोल की अवधि के दौरान मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी नामित किया जाए। उक्त अधिकारी द्वारा उस अवधि के दौरान, जब वे अभिरक्षा पैरोल पर हों, मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की सुरक्षा की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जाएगी। जेल परिसर से उनके प्रस्थान के क्षण से लेकर अंतिम संस्कार के पश्चात जेल में उनकी वापसी तक हर समय मोहम्मद उमर एवं अली अहमद की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

(iii)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को अपने छोटे सहोदर, अर्थात् एहजाम अहमद तथा पितृ पक्ष की बुआ परवीन कुरैशी/याची से उस स्थान पर मिलने की अनुमति दी जाएगी, जिसे राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उक्त मुलाकात के लिए एक घंटे की अवधि की अनुमति दी जाएगी। मुलाकात पुलिस की निगरानी में होगी।

(iv)- अंतिम संस्कार एवं चारों परिवार के सदस्यों की मुलाकात समाप्त होने के पश्चात, पुलिस प्राधिकारी मोहम्मद उमर एवं अली अहमद को उनके संबंधित कारागारों में वापस लेकर जाएंगे।

रिट याचिका में याची द्वारा दी गई वचनबद्धता के अतिरिक्त, इस न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत अभिरक्षा पैरोल पर रहते समय मोहम्मद उमर एवं अली अहमद द्वारा निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा:-

ए)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं करेंगे, मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सम्मिलित है, से बात नहीं करेंगे।

बी)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद किसी जुलूस में सम्मिलित नहीं होंगे और कसारी मसारी कब्रिस्तान, प्रयागराज में अंतिम संस्कार से संबंधित धार्मिक संस्कारों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे।

सी)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद अंतिम संस्कार की धार्मिक विधि संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्ति, अपनी बुआ परवीन कुरैशी एवं भाई एहजाम अहमद के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे अथवा कोई संवाद नहीं करेंगे।

डी)- मोहम्मद उमर एवं अली अहमद अभिरक्षा पैरोल की अवधि के दौरान किसी भी समय पुलिस प्राधिकारियों/प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश अथवा आदेश का भी कड़ाई से पालन करेंगे।

इस आदेश की एक प्रति शासकीय अधिवक्ता को प्रदान की जाए, ताकि उसे संबंधित प्राधिकारियों को कड़ाई से एवं तत्काल अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

7 अगस्त, 2026

करन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।